आदे. 3200 02/09/25

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/5524 /लेखा जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2025

कार्यालय, आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल का पत्र ESS/E-GPF/ क्रमांक 1253 भोपाल दिनांक 03.05.2024 एवं ESS/E-GPF/ क्रमांक 459/2025/DTA भोपाल दिनांक 18.02.2025 जो कि सामान्य भविष्य निधि (E-GPF) अंतिम भुगतान की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था से सम्बंधित है, की प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0, खंडपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश---Agar-Malwa----------(म0प्र0)।
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय ----------(समस्त)(म0प्र0)।
5. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन/ न्यायिक–1 एवं 2/डी0ई0/आईटी/सतर्कता/आई.एल./परीक्षा, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
8. डिप्टी रजिस्ट्रार कम पीपीएस, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
9. मेम्बर सेकेट्ररी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
11. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्टस, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
12. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (समस्त) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
13. डिप्टी रजिस्ट्रार (समस्त) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
14. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (लेखा) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
15. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर (लेखा) उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
16. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/बजट/अवकाश/पेंशन, वेतन पत्रक लेखा शाखा।
17. प्रभारी आई.टी. विंग, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय म0प्र0 की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

(1)

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा

पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड (अ), भोपाल
दूरभाष क्र. 0755-2676020, 2676040 ईमेल-dta_csv@mptreasury.gov.in

पत्र ESS / E – GPF/ क्रमांक/1253 भोपाल,दिनांक 03\05\2024

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय:- सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान की व्यवस्था के स्थान पर IFMIS सॉफ्टवेयर पर ई-सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था के संबंध में ।

---000---

विषयांतर्गत वर्तमान में सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु भौतिक व्यवस्था लागू है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व जीपीएफ का कटौत्रा बन्द कर शासकीय सेवक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कार्यालय प्रमुख / आहरण संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात कार्यालय प्रमुख आवश्यक परीक्षण उपरान्त आवेदन में मूल जीपीएफ पासबुक के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रकरण प्रेषित करता है। मृत्यु के प्रकरण में कार्यालय प्रमुख ही जीपीएफ अंन्तिम भुगतान का प्रकरण तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करता है । इसके पश्चात महालेखाकार कार्यालय द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरान्त सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान का प्राधिकार पत्र भौतिक रूप से जारी कर संबंधित कोषालय अधिकारी , संबंधित कार्यालय एवं शासकीय सेवक को प्रेषित किया जाता है।

उक्त् प्रक्रिया मे कई प्रकरणों के भुगतान में (विभिन्न कारणों) विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है। इसी प्रकार महालेखाकार कार्यालय से जारी अन्तिम प्राधिकार पत्र भी विलम्ब से कोपालय को प्राप्त होते हैं अथवा गुम भी हो जाते है ।

इन सब विपरीत परिस्थितियों से वचने के लिए IFMIS सॉफ्टवेयर से सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था ई – सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान व्यवस्था 3 मई 2024 से ग्वालियर जिले में पायलेट के रूप में शुरू की जा रही है । इसके पश्चात पृथक से आदेश जारी करते हुये प्रदेश के अन्य कोपालय में लागू किया जायेगा ।

IFMIS ई – सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाईन व्यवस्था है इस में शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान हेतु IFMIS में ऑनलाईन आवेदन करेगा । यह आवेदन स्वयं के लॉगिन से या विशेष परिस्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा On – Behalf सुविधा का उपयोग कर किया जा सकेगा । दिवंगत तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वावारा On – Behalf सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करेगा । ऑनलाईन आवेदन के साथ जीपीएफ पासबुक एवम् अन्य आवश्यक

जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर प्रकरण के साथ ऑनलाईन की महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार द्वारा परीक्षण उपरान्त ई- प्राधिकार पत्र ई- हस्ताक्षर से जारी कर सीधे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। जिससे अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है। ऑनलाईन प्रक्रिया का यूजर मैन्यूल आवश्यक कार्यवाही संलग्न है।

अत: इस प्रक्रिया के संबंध में समस्त कार्यालयों को परीक्षण प्रदान करते हुए नवीन प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराने की कार्यवाही संपादित करें। पूर्व में जारी प्रकरणों का जिसके महालेखाकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जा चुका है। उनका निराकरण पूर्वानुसार करने का अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

-Sd-
(ज्ञानेश्वर बी. पाटील)
आयुक्त
कोष एवं लेखा

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव वित्त म.प्र. शासन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभाग अध्यक्ष कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु।
3. महालेखाकार ग्वालियर (लेखा एवम् हकदारी – II)।
4. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा।
6. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी , जिला कोषालय ग्वालियर।
7. समस्त आहरण संवितरण अधिकारी ग्वालियर।

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील)
आयुक्त
कोष एवं लेखा

E-GPF(Do&Dont's)

sr.no	Do	Dont's
1	• सेवानिवृत्त होने के चार माह पूर्व स्वयं शासकीय सेवक IFMIS में GPF/DPF part and final withdrawal screen से अप्लाई करेंगे • डी.डी.ओ वेरिफायर के लॉगिन से सेवानिवृत्त /दिवंगत शासकीय सेवक के प्रकरण अप्लाई ऑन बिहॉफ की सुविधा के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है • GPF/DPF final भुगतान हेतु अप्लाई करने के पूर्व सिस्टम का बैलेंस एवं जीपीएफ स्लिप का बैलेंस का मिलान किया जाना चाहिए।	• भौतिक GPF पासबुक एवं अन्य दस्तावेज महालेखाकार को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।
2	डी.डी.ओ वेरिफायर • शासकीय सेवक के Schedule 5 एवं जीपीएफ पासबुक के समस्त पृष्ठ की pdf file स्कैन कर अपलोड की कार्यवाही की जानी चाहिए। • दिवंगत शासकीय सेवक की स्थिति में प्रमाण पत्र एवं Nomination की कॉपी	Documents जो PDF file के रूप में स्कैन किया जावेगा उसकी Size 2MB से अधिक की नही होनी चाहिए ।
3	डी.डी.ओ अप्रूवर • डी.डी.ओ द्वारा सभी Mandatory documents संलग्न है कि नहीं की जांच करना अनिवार्य है एवं Covering letter पर साईन कर प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे।	
4.	AG RECEIVER • प्रकरण की जांच करने के उपरांत प्रकरण AG verifier को फार्वड/असाईन करेगा। • यदि प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित डी.डी.ओ को प्रकरण IFMIS में रिर्टन कर दिया जावेगा।	
5.	AG वेरिफायर द्वारा Mandatory document /calculation sheetअपलोड कर प्रकरण की जांच कर प्रकरण AG अप्रुवर के पास अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।	
6	AG अप्रुवर • प्रकरण उपयुक्त पाए जाने पर अनुमोदन करेंगे। • अनुमोदन उपरांत ई-साईन कर Sanction order जनरेट किया जाएगा।	

	• प्रकरणDispatch करने के उपरांत GPF final payment authority डी.डी.ओ approved Claim भुगतान हेतु प्रदर्शित होगें।	
7.	• डी.डी.ओ द्वारा final payment authority में प्रदर्शित तिथि के 05 कार्यदिवस के अंदर भुगतान हेतु देयक प्रेषित किया जाना होगा। • status tracker Report में प्रकरण की स्थिति DDO/TO/AGMP के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। • ई-मेल के माध्यम से AGMP द्वारा संबंधित DDO/TO को GPF final payment authority भी प्रषित की जाएगी।	

(5)

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा

पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड (अ), भोपाल
दूरभाष क्र. 0755-2676021 ईमेल-dtamp.bpl@mp.gov.in

क्रमांक/ESS/EGPF/क्रमांक: 459/2025/DTA भोपाल,दिनांक 18-02-2025

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय: - सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान की व्यवस्था के स्थान पर IFMIS सॉफ्टवेयर पर ई-सामान्य भविष्य निधि(E-GPF) के अन्तिम भुगतान की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था के संबंध में ।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / E - GPF / 1253 भोपाल दिनांक 03/05/2024 ।

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 3 मई 2024 को कोषालय ग्वालियर में पायलेट के रूप में सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था(E-GPF) लागू की गई थी। इस नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाईन अंतिम भुगतान के प्राधिकार पत्र महालेखाकार कार्यालय द्वारा सफलतापूर्वक जारी किये जा रहे है ।

अत:सामान्य भविष्य निधि(E-GPF) में अंतिम भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था " ई - सामान्य भविष्य निधि(E-GPF) " 21 फरवरी 2025 से समस्त कोषालयों में लागू किया जा रहा है।

IFMIS अंतर्गत ई- सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाईन व्यवस्था है। इस में शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान हेतु IFMIS में ऑनलाईन आवेदन करेगा । यह आवेदन स्वयं के लॉगिन से या विशेष परिस्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा On - Behalf सुविधा का उपयोग कर किया जा सकेगा । दिवंगत तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा On-Behalf सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करेगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ जीपीएफ पासबुक एवं अन्य आवश्यक जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर प्रकरण के साथ ऑनलाईन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी । महालेखाकार द्वारा परीक्षण उपरान्त ई- प्राधिकार पत्र ई- हस्ताक्षर से जारी कर सीधे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी । जिससे अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है। ऑनलाईन प्रक्रिया का यूजर मैन्युअल आवश्यक कार्यवाही संलग्न है। उक्त नवीन प्रक्रिया के संबंध में कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित VC में समस्त कोषालय अधिकारियों को पृथक से प्रशिक्षण दिया जावेगा।

अत: इस प्रक्रिया के संबंध में समस्त आहरण संवितरण अधिकारी को ई-दक्ष में अभिलेखो को स्कैन करने एवम आनलाईन प्रोसेस की हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए नवीन प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराने की कार्यवाही संपादित करें । साथ ही जिले में होने वाली समय सीमा बैठक में उक्त नवीन प्रक्रिया से समस्त कार्यालयों का अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव वित्त म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ ।
2. महालेखाकार ग्वालियर (लेखा एवं हकदारी - II) ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, म प्र की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु ।
4. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक , कोष एवं लेखा ।
6. समस्त आहरण संवितरण अधिकारी म.प्र. की ओर पत्र प्रेषित कर लेख है कि महालेखाकार को अंतिम प्राधिकार पत्र का प्रस्ताव सिस्टम के माध्यम से भेजा जाए।

Digitally signed by
Rajiv Kumar Saxena
Date: 18-02-2025
19:05:11

(डॉ राजीव सक्सेना)
संचालक,कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

(6)

कार्यालय कोषालय अधिकारी जिला कोषालय जबलपुर म.प्र

E-mail- todtjabalpur@gmail.com , IFMIS Mail - Ifmis.180@mptreasury.gov.in, Phone no. 0761-2625280

क्रमांक / जि0को0 / 2025 / 1952 जबलपुर दिनॉक, 20 / 02 / 2025

प्रति,

समस्त
आहरण एवं संवितरण अधिकारी
जबलपुर, म0प्र0

विषयः– सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान की व्यवस्था के स्थान पर पर IFMIS Software पर ई सामान्य भविष्य निधि **(E-GPF)** के अन्तिम भुगतान की नवीन ऑनलाईन व्यवस्था के सम्बंध में।

संदर्भः–1. कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल का पत्र कमांक / ESS/EGPF / कमांकः459 / 2025 / DTA भोपाल दिनांक 18.02.2025
2.कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल का पत्र ESS/E-GPF / कमांकः1253 भोपाल दिनांक 03.05.2024

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क. 1 के तारतम्य में लेख है कि सामान्य भविष्य निधि (E-GPF) में अंतिम भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था **ई – सामान्य भविष्य निधि (E-GPF)** 21 फरवरी 2025 से समस्त कोषालयों में लागू की जा रही है।

IFMIS अंतर्गत ई सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाईन व्यवस्था है। इसमें शासकीय सेवक **सेवानिवृत्ति के 4 माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान हेतु IFMIS में ऑनलाईन आवेदन करेगाा।** यह आवेदन स्वयं के लॉगिन से या विशेष परिस्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा On - Behalf सुविधा का उपयोग कर किया जा सकेगा। दिवंगत तथा सेवनिवृत्त शासकीय सेवक की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा On - Behalf सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करेगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ जीपीएफ पासबुक एवं अन्य आवश्यक जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर प्रकरण के साथ ऑनलाईन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार द्वारा परीक्षण उपरान्त ई–प्राधिकार पत्र ई–हस्ताक्षर से जारी कर सीधे सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। जिससे अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः उक्त के सम्बंध में लेख है कि सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान का कोई भी प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को भौतिक रूप से ना भेजे। यदि पूर्व में सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी का कोई प्रकरण लंबित है तो उसे उक्त प्रकिया संलग्न manual के अुनसार online प्रकिया द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 21.02.2025 के पूर्व जो सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरण महालेखाकार कार्यालय में भेजे जा चुके है, उन पर पूर्व निर्धारित प्रकिया अनुसार कार्यवाही होगी।

संलग्नः–1. E – GPF user manual
2. E – GPF (Do & Dont's)

Vinayila
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी
जिला कोषालय जबलपुर

पृ.क्रं. / जि.को. / 2025 / 1953 जबलपुर दिनांक 20 / 02 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

Vinayila
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी
जिला कोषालय जबलपुर